"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2009— फाल्गुन 29, शक 1930

भाग 3 (1)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक 66/क/वित्त-स्था./2008.— एतद्द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो-अनुक्रमांक-चार के नियमं आठ के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एस. के. जायसवाल, कलेक्टर, जिला महासमुंद, वर्ष 2009 के लिए जिला महासमुंद में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिए निम्नांकित दिन " स्थानीय अवकाश (Local Holiday) " के दिन घोषित करता हूं :-

क्रमांक	अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
1.	सिरपुर महोत्सव (माघ पूर्णिमा)	09 फरवरी, 2009	सोमवार
2.	दशहरा (दुर्गा महाष्टमी)	26 सितम्बर, 2009	शनिवार
3.	भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009	सोमवार

टीप :- उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

एस. के. जायसवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2009

क्रमांक 1915/स्था./2009.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रायपुर संभाग के अंतर्गत नीचे लिखे जिलों के सम्मुख दर्शित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थानीय अवकाश का नाम (3)	दिनांक (4)
1.	रायपुर	1. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	18 सितंबर, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009
2.	दुर्ग	1. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	18 सितंबर, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009
3.	राजनांदगांव	1. गणेश विसर्जन	04 सितंबर, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009
4.	धमतरी	1. माघ पूर्णिमा	09 फरवरी, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009
5.	महासमुन्द	1. माघ पूर्णिमा	09 फरवरी, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009
6.	कबीरधाम	1. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	18 सितंबर, 2009
		2. दुर्गाष्टमी	26 सितंबर, 2009
		3. भाईदूज	19 अक्टूबर, 2009

एम. के. गुप्ता,
उपायुक्त (रा) वास्ते-आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी, 2009

क्रमांक 758/ख. लि.02/2009.— गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्रीमती शोभाताई खोब्रागड़े ध. पत्नि-भाऊ साहेब खोब्रागड़े, निवासी पद्मनाभपुर-दुर्ग.	जोरातराई	राजनांदगांव	124/1,2 से 141/1,2 में से	1.60	चूना पत्थर	निजी भू-स्वामी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण.

टीप :- भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य है.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर

रायपुर , दिनांक 28 फरवरी 2009

प्रारूप पन्द्रह
[नियम 18(3) देखिए]

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

क्र. 27/मिस/टीएस/2007/04.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन निवेश क्षेत्र रायपुरा के लिए यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात्-

(1) रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रायपुर

उक्त नगर विकास स्कीम 28 फरवरी 2009 से प्रवर्तित होगी.

FORM XV

[See rule 18(3)]

TOWN AND COUNTRY DEVELOPMENT AUTHORITY

No. 27/Mis./TS./2007/04.— The Town Development Scheme Raipura as approved under sub-section (4) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published for the information of the general public and copies of the said scheme are available for inspection during office hours at the following offices, namely :-

(1) Raipur Development Authority, Raipur

(2) Joint Director, T & C Planning, District Office, Raipur

The said Town Development Scheme shall come into operation with effect from 28th Feb. 2009.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2009

क्रमांक /578/अ. वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री शिवराम समदरिया आत्मज श्री गिरिजा प्रसाद समदरिया, निवासी गद्रे स्मृति भवन, जवाहर नगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 20-3-2009 को होगी.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	छत्तीसगढ़ विश्व संवाद केन्द्र न्यास, रायपुर, गद्रे स्मृति भवन, जवाहर नगर, रायपुर
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	बैंक आफ इंडिया, देवेन्द्र नगर, खाता. क्र. 103446834 में राशि 15000=00 रुपये.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2009

क्रमांक /583/अ. वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/04.— चूंकि श्री मोहनचंद वैद आत्मज स्व. कस्तूरचंद वैद, निवासी शांति विजय मार्केट, सदर बाजार, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 27-3-2009 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	ओम शांति सेवा ट्रस्ट, विजय शांति मार्केट, सदर बाजार, रायपुर
2.	अचल संपत्ति	:	टिकरापारा, ह. नं. 27 438/2,5 } 450/5,6 } 0.316 हे. 450/10 }
3.	चल संपत्ति	:	लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, खाता नं. 3959 में राशि 3000=00 रुपये.

तारण प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार आफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

डोंगरगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2009

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5(2) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्रमांक /67/प्र.1/अ. वि. अ./09.— चूंकि आवेदक श्री रेव्ह. व्ही. पी. जोई (चेयरमेन) निवासी जोए भवन, नागतराई रोड, ग्राम अछोली, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति एवं लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-3-09 को विचार हेतु नियत किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो उसे इस सूचना प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	जोए मिनिस्ट्री ट्रस्ट, नागतराई रोड, ग्राम अछोली, तहसील डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	स्टेट बैंक डोंगरगढ़ में 1000=00 (एक हजार) रुपये जमा है.

अलेक्स पाल मेनन,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.